

उत्तर प्रदेश शासन  
आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-2  
संख्या-536/78-2-2026/ ई-1052026  
लखनऊ, दिनांक 9 जुलाई, 2026  
अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद-162 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल "उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति-2026 (UTTAR PRADESH DATA CENTRE POLICY-2026)" प्रख्यापित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति-2026 (UTTAR PRADESH DATA CENTRE POLICY-2026) इसकी आधिकारिक अधिसूचना की तिथि से 05 वर्ष की अवधि तक अथवा राज्य सरकार द्वारा संशोधित किये जाने या निरस्त किये जाने तक प्रभावी रहेगी।

3- उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति-2026 में समय की आवश्यकताओं के अनुरूप किसी प्रकार का परिवर्तन मा0 मंत्रि-परिषद के अनुमोदनोपरान्त ही किया जा सकेगा।

Digitally signed by  
ALOK KUMAR  
Date: 08-07-2026  
19:57:09  
(आलोक कुमार)  
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उ०प्र० शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
6. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. निजी सचिव, मा0 विभागीय मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार।
8. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ।
9. गार्ड फाईल।

संलग्नक- (नीति की प्रति)

आज्ञा से  
(अर्जुन देव भारती) 9/07/2026  
संयुक्त सचिव।

संलग्नक-1



उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति 2026 (प्रारूप)  
आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन

*Handwritten signature*

### 1. परिचय

भारत सरकार की इंडिया ए.आई. मिशन, नैशनल क्वान्टम मिशन, इंडिया सेमिकन्डक्टर मिशन 2.0 जैसी हालिया पहल भारत के डिजिटल रुपान्तरण की रीढ़ हैं। ये नागरिकों और व्यवसायों दोनों के लिए सुरक्षित, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करते हैं। डिजिटल इंडिया की परिकल्पना के तहत, देश एक परिवर्तनकारी दौर से गुजर रहा है, जिसमें त्वरित डिजिटलीकरण, स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच और डिजिटल सेवाओं का प्रसार हो रहा है। आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर, डिजिटल स्वास्थ्य और डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म जैसे प्रमुख कार्यक्रमों सहित, भारत वैश्विक स्तर पर डिजिटल अवसंरचना के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश वैश्विक और घरेलू डाटा सेंटर निवेशकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति-2026 ए.आई. रेडी, ग्रीन एवं सस्टेनेबल डाटा सेन्टर्स पर बल देकर एक दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाती है। यह नीति पूर्ववर्ती नीति द्वारा स्थापित सशक्त गति पर आधारित है, जिसने राज्य को देश के शीर्ष डाटा सेंटर हब के रूप में स्थापित करने में सक्षम बनाया, जहाँ वैश्विक प्रतिष्ठा वाले कई प्रमुख डाटा सेंटर संचालक मौजूद हैं।

### 2. परिकल्पना

उत्तर प्रदेश को एक ग्रीन, ए.आई.-रेडी, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी डाटा सेन्टर हब के रूप में स्थापित किया जाना, जो टिकाऊ डिजिटल बुनियादी ढांचे को सक्षम बनाए, नवाचार को बढ़ावा दे और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करे।

### 3. मिशन

संतुलित क्षेत्रीय विकास, उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ एकीकरण और वैश्विक कनेक्टिविटी के माध्यम से डाटा सेन्टर विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाना, साथ ही स्थिरता, लचीलापन और निवेशक विश्वास को बढ़ावा दिया जाना।

### 4. लक्ष्य

नीतिगत समयावधि के दौरान निम्नलिखित सांकेतिक परिणामों को प्राप्त किया जाना इस नीति का उद्देश्य है:

- **डाटा सेन्टर उद्योग:** इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त 2 गीगावाट से अधिक क्षमता हासिल करने के लिए डाटा सेन्टर उद्योग को प्रोत्साहित करना।
- **निवेश जुटाना:** राज्य के डिजिटल अवसंरचना पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए रु 2 लाख करोड़ से अधिक के निवेश को प्रोत्साहित करना।



- **इन्फ्रास्ट्रक्चर बेन्चमार्क्स:** विश्वसनीयता और स्थिरता के वैश्विक मानक स्थापित करने के लिए टियर III तथा टियर IV-प्रमाणित डाटा सेंटर और ग्रीन-सर्टिफाइड सुविधाओं या समकक्ष सुविधाओं की स्थापना को सुगम बनाया जाना।
- **नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण:** हरित प्रौद्योगिकियों को धीरे-धीरे अपनाकर, 2030 तक नए डाटा सेन्टर्स में कम से कम 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को प्रोत्साहित करना।
- **ए.आई. और डीप टेक इकोसिस्टम:** उत्तर प्रदेश को उन्नत कम्प्यूटिंग और नवाचार के केन्द्र के रूप में स्थापित करने के लिए डाटा सेंटर कॉरिडोर के भीतर ए.आई. अनुसंधान क्लस्टर, हाई परफार्मेंस कम्प्यूटिंग (एचपीसी) अवसंरचना और इनक्यूबेटर को बढ़ावा देना।

## 5 . डाटा सेंटर इकाई वर्गीकरण

**डाटा सेंटर:** डाटा सेंटर एक समर्पित सुरक्षित स्थान (भवन/केंद्रीकृत स्थान) है जहाँ बड़ी मात्रा में डाटा एकत्र करने, संग्रहीत करने, संसाधित करने, वितरित करने या उस तक पहुंच की अनुमति देने के उद्देश्य से कंप्प्यूटिंग और नेटवर्किंग उपकरण केंद्रित होते हैं।

### 5.1 डाटा सेंटर पार्क

कम से कम 40 मेगावाट की कुल लोड क्षमता वाले डाटा सेंटर को डाटा सेंटर पार्क की परिभाषा के अंतर्गत माना जाएगा।

### 5.2 डाटा सेंटर यूनिट

2 मेगावाट से अधिक और 40 मेगावाट से कम कुल लोड क्षमता वाले डाटा सेंटर को डाटा सेंटर यूनिट की परिभाषा के अंतर्गत माना जाएगा। कैप्टिव डाटा सेंटर यूनिट इस नीति के अंतर्गत नहीं मानी जाएंगी।

### 5.3 एज डाटा सेंटर

उत्तर प्रदेश में स्थापित कम से कम 10 डाटा सेंटर, जिनमें से प्रत्येक की कुल लोड क्षमता कम से कम 50 किलोवाट हो और जिनकी कुल संचित लोड क्षमता कम से कम 2 मेगावाट हो, एक ही प्रस्ताव के अंतर्गत एज डाटा सेंटर की परिभाषा के अंतर्गत माने जाएंगे। एज डाटा सेंटर डाटा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों, उपकरणों/मशीनों और प्रक्रियाओं के निकट स्थापित किए जाते हैं ताकि प्रोसेसिंग में लगने वाले समय को कम किया जा सके। कैप्टिव एज डाटा सेंटर इस नीति के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे।

*Answer*

## 6 महत्वपूर्ण परिभाषाएं

### 6.1 नीति की परिचालन अवधि

यह नीति आधिकारिक अधिसूचना जारी होने की तिथि से 5 वर्षों की अवधि तक अथवा राज्य सरकार द्वारा संशोधित या निरस्त किए जाने तक प्रभावी रहेगी। "उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति-2026" के लागू होते ही, "उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति (प्रथम संशोधन) 2021" स्वतः ही निरसित हो जाएगी। यद्यपि, ऐसी कोई भी संस्था जिसे उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 (प्रथम संशोधन) के अंतर्गत लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) निर्गत किया गया हो और जिसने इस नीति के तहत प्रोत्साहन अथवा रियायतों का आंशिक अथवा पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त कर लिया हो, वह इस नीति (उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 (प्रथम संशोधन)) के अंतर्गत अनुमन्य लाभ प्राप्त करने के लिए प्रचलित शासनादेशों के अनुपालन में पात्र होंगी। जिन संस्थाओं को लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) निर्गत हुए हैं और जिन्होंने अभी तक न्यूनतम व्यवसायीकरण के मानदंड पूर्ण नहीं किए हैं, उनके समय विस्तार के लिए राज्य सरकार के निर्णय के अधीन, विचार किया जा सकता है। ऐसे समय विस्तार पर इकाइयों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रार्थना पत्रों पर तत् समय लागू शासनादेशों एवं व्यवस्थाओं के अंतर्गत यथानुकूल निर्णय लिया जाएगा, जो किसी भी परिस्थिति में तीन वर्ष से अधिक समय के लिए अनुमन्य नहीं होगा।

### 6.2 लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी)

परियोजना को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात नोडल संस्था द्वारा निवेशक को निर्गत किया गया आधिकारिक आदेश "लेटर ऑफ कम्फर्ट" है। इसमें परियोजना का संक्षिप्त विवरण, प्रस्तावित निवेश राशि, अनुमन्य प्रोत्साहन और परियोजना को नियंत्रित करने वाले नियम एवं शर्तें निर्दिष्ट होती हैं। लेटर ऑफ कम्फर्ट, में स्पष्ट रूप से उल्लिखित प्रोत्साहनों से अधिक प्रोत्साहनों की गारंटी नहीं देता है और सभी प्रचलित कानूनों, नीतिगत प्रावधानों और समयसीमाओं के अनुपालन के अधीन रहेगा। शर्तों के उल्लंघन अथवा गलत जानकारी देने पर लेटर ऑफ कम्फर्ट का निरस्तीकरण किया जा सकता है और लाभ वापस लिए जा सकते हैं।

### 6.3 एक्नॉलेजमेण्ट लेटर

नीति प्रबन्धन इकाई (PMU) से निवेश प्रस्ताव रिपोर्ट (IPR) पर विचार-विमर्श के बाद, धारा 6.9 में परिभाषित अनुशंसा प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर नोडल संस्था द्वारा एक स्वीकृति पत्र (एक्नॉलेजमेण्ट लेटर) जारी किया जाता है। यदि प्रस्ताव को लेटर ऑफ कम्फर्ट (LOC) जारी करने के लिए अंतिम स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, तो यह पत्र निरस्त समझा जाएगा।

### 6.4 नीति के अन्तर्गत स्पेशल परपज वेहिकल (SPV)

*Amor*

एसपीवी डाटा सेंटर पार्क को विकसित और/या संचालित करने के लिए डाटा सेंटर नीति के तहत अनुमोदित डाटा सेंटर पार्क द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निगमित एक अलग कानूनी इकाई है।

### 6.5 नीति की प्रभावी तिथि

राज्य सरकार द्वारा नीति की आधिकारिक अधिसूचना जारी होने की तिथि उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति-2026 के प्रभावी होने की तिथि होगी।

### 6.6 वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ तिथि (DCCO)

वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ तिथि (DCCO) से तात्पर्य उस तिथि से है जिस पर डाटा सेंटर सेवाओं यथा को-लोकेशन, होस्टिंग, क्लाउड या प्रबंधित आईटी सेवाओं की वास्तविक डिलीवरी के लिए किसी बाहरी ग्राहक को पहला बीजक जारी किया जाता है। इस नीति के प्रयोजन के लिए, वैध बीजक वह बीजक होगा जो प्रचलित कर कानूनों के तहत जारी किया गया हो।

### 6.7 पात्र व्यावसायीकरण अवधि

व्यावसायीकरण के लिए पात्र अवधि का अर्थ है लेटर ऑफ कम्फर्ट की निर्गमन तिथि से तीन वर्ष। यदि एलओसी नीति की समाप्ति से तीन वर्ष पहले तक जारी किया जाता है, तो भी परियोजना को एलओसी की तिथि से तीन वर्ष के भीतर व्यावसायिक परिचालन आरम्भ करना होगा, भले ही यह नीति की अवधि से आगे बढ़ जाए।

उदाहरण के लिए: यदि नीति 31 मार्च 2030 को समाप्त होती है और एलओसी 1 जनवरी 2029 को जारी की जाती है, तो परियोजना को 1 जनवरी 2032 तक व्यावसायिक परिचालन आरम्भ करना होगा।

उन प्रस्तावों के मामले में, जिनमें 200 मेगावाट डाटा सेंटर क्षमता हासिल करने की प्रतिबद्धता है, अतिरिक्त दो वर्ष का विस्तार प्रदान किया जाएगा।

### 6.8 आवेदक कम्पनी

आवेदक कम्पनी का तात्पर्य भारत में प्रभावी कानूनों, जिनमें कम्पनी अधिनियम 2013 भी शामिल है, के तहत निगमित और पंजीकृत एक पृथक कानूनी इकाई से है, जिसके द्वारा इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है।



## 6.9 निवेश प्रस्ताव रिपोर्ट (IPR)

निवेश प्रस्ताव रिपोर्ट (IPR) का तात्पर्य है आवेदक द्वारा निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया गया एक आवेदन जिसमें सभी अनिवार्य विवरण और सहायक दस्तावेज सम्मिलित हों। आईपीआर में प्रस्तावित पूंजीगत व्यय, परियोजना के वित्तीय विवरण, अनुमानित कारोबार, व्यवसाय योजना, ऋण-इक्विटी अनुपात, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार अनुमान और नोडल एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य जानकारी शामिल होगी। आईपीआर में इस नीति के तहत मांगे गए वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहनों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना होगा। सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने और लागू दिशानिर्देशों का अनुपालन करने पर ही आवेदन प्रस्तुति पूर्ण मानी जाएगी।

## 6.10 परियोजना लागत

परियोजना लागत परियोजना के लिए सृजित परिसंपत्तियों पर किया गया कुल पूंजीगत व्यय है और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित है:-

- (1) **भूमि:** डाटा सेन्टर के निर्माण और उससे संबंधित बुनियादी ढांचे के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के अधिग्रहण की लागत।
- (2) **भवन एवं सिविल कार्य:** इसमें परियोजना के लिए समस्त नवीन निर्माण की लागत सम्मिलित है। प्रमुख घटक इस प्रकार हैं:-
  - क) **डाटा सेन्टर भवन:** आईटी उपकरण और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को रखने के लिए सुरक्षित, विशेष रूप से निर्मित संरचनाएं।
  - ख) **प्रशासनिक और कार्यालय स्थान:** परिचालन, निगरानी और प्रबंधन कर्मचारियों के लिए क्षेत्र।
  - ग) **सहायक सुविधाएं:** अतिरिक्त उपकरण, रखरखाव उपकरण और नेटवर्क उपकरण के लिए भंडारण।
  - घ) **कर्मचारी सुविधाएं:** परिसर के भीतर कर्मचारियों के लिए सीमित सुविधाएं।

- (3) **आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर:** इसमें निम्न के क्रय पर निहित लागत सम्मिलित है:-

क. सर्वर, स्टोरेज सिस्टम, नेटवर्किंग उपकरण, रैक और केबलिंग।

ख. माल ढुलाई, स्थापना, कमीशनिंग तथा बुनियाद का काम।

ग. कार्यप्रदर्शन इष्टतमीकरण (परफार्मेंस ऑप्टिमाइजेशन) के लिए परीक्षण उपकरण और अनुसंधान एवं विकास उपकरण।

*Amber*

(4) **एमईपी और विद्युत प्रणालियाँ**

- क. यांत्रिक, विद्युत और प्लम्बिंग प्रणालियाँ।
- ख. यूपीएस प्रणालियाँ, स्विचगियर, ट्रांसफार्मर, सबस्टेशन।
- ग. बैकअप पावर जनरेटर और आंतरिक उपयोग के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियाँ।
- घ. विद्युत निरंतरता के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS)।

(5) **शीतलन एवं पर्यावरण प्रणालियाँ**

- क. एचवीएसी इकाइयाँ, चिलर, सटीक शीतलन प्रणालियाँ।
- ख. हाई डेन्सिटी कम्प्यूटिंग के लिए लिक्विड कूलिंग या उन्नत शीतलन प्रौद्योगिकियाँ।
- ग. आर्द्रता नियंत्रण एवं वायु शोधन प्रणालियाँ।

(6) **सुरक्षा एवं संरक्षा प्रणालियाँ**

- क. अग्नि शमन प्रणाली, प्रवेश नियंत्रण, सीसीटीवी, बायोमेट्रिक सुरक्षा।
- ख. भौतिक सुरक्षा अवसंरचना और आपदा से निपटने के प्रावधान।

(7) **निगरानी एवं प्रबंधन उपकरण**

- क. डाटा सेन्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट (DCIM) सॉफ्टवेयर।
- ख. पर्यावरणीय सेंसर और ए.आई. आधारित पूर्वानुमानित रखरखाव उपकरण।

(8) **यूटीलिटीज**

- क. डीजल जनरेटर्स, यूपीएस तथा अन्य वैधानिक उपयोगिताएँ।
- ख. शीतलन दक्षता के लिए जल उपचार और पुनर्चक्रण प्रणाली।

**6.11 पात्र स्थिर पूंजी निवेश**

पात्र स्थिर पूंजी निवेश का अर्थ है, डाटा सेन्टर संचालन के लिए आवश्यक मूल अवसंरचना के निर्माण पर व्यय की गई परियोजना लागत का अंश। इसमें सम्मिलित है:-

*Answer*

- क. आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर: जैसे कि सर्वर, स्टोरेज सिस्टम, नेटवर्किंग उपकरण, रैक और केबलिंग इत्यादि
- ख. एम.ई.पी. प्रणालियाँ: डाटा सेंटर भवन के भीतर मौजूद यांत्रिक, विद्युत और प्लंबिंग प्रणालियाँ, यूटिलिटीज सहित
- ग. विद्युत एवं कूलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर: जैसे कि यूपीएस सिस्टम, स्विचगियर, ट्रांसफार्मर, पावर बैकअप इन्फ्रास्ट्रक्चर, एचवीएसी यूनिट, चिलर, प्रेसिजन कूलिंग, एडवांस्ड कूलिंग टेक्नोलॉजी आदि।
- घ. सुरक्षा एवं संरक्षा प्रणालियाँ: जैसे कि अग्नि शमन प्रणाली, प्रवेश नियंत्रण, सीसीटीवी, बायोमेट्रिक सुरक्षा तथा आपदा से निपटने के प्रावधान आदि।
- ङ. निगरानी एवं प्रबंधन उपकरण: जैसे कि डाटा सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट (DCIM) सॉफ्टवेयर, पर्यावरणीय सेंसर और ए.आई. आधारित पूर्वानुमानित रखरखाव उपकरण आदि।
- च. अपवर्जन: भूमि एवं भवन मूल्य, भूमि विकास लागत और मुख्य अवसंरचना जैसे सड़कें, बाहरी उपयोगिताएँ, सीवरेज और वर्षाजल निकासी।

#### 6.12 अपात्र स्थिर पूंजी निवेश

इस नीति के अंतर्गत पात्र स्थिर पूंजी निवेश की गणना करते समय निम्नलिखित को पात्र नहीं स्वीकार किया जाएगा:-

- क. कार्यशील पूंजी एवं अन्य परिचालन व्यय
- ख. रॉयल्टी, प्रौद्योगिकी सूचना शुल्क तथा कन्सल्टेन्सी शुल्क
- ग. प्रारंभिक एवं परिचालन-पूर्व व्यय, जिसमें ब्याज का पूंजीकरण सम्मिलित है।
- घ. नकद में क्रय किए गए संयंत्र और मशीनरी, जिनका पता लगाने योग्य बैंकिंग चैनल्स के माध्यम से भुगतान न किया गया हो।
- ङ. अनुमोदित परियोजना की परिधि से परे, भविष्य में विस्तार या वृद्धि के लिए निर्धारित निवेश।
- च. निम्नलिखित संयंत्र और मशीनरी इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होंगे:-

- पुराने अथवा नवीनीकृत (रि-फर्बिस्ड) उपकरण, उसकी स्थिति या उत्पत्ति के संबंध में।
- किसी अन्य सुविधा या राज्य से स्थानांतरित संयंत्र और मशीनरी।
- पट्टे पर अथवा किराए पर लिया गया उपकरण, भले ही वह डाटा सेंटर साइट पर स्थापित हो।
- कोई भी उपकरण जिसका डाटा सेंटर के परिचालन में प्रत्यक्ष योगदान नहीं है।
- नॉन-कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर जिसमें कार्यालय फर्नीचर, प्रशासनिक कार्यालय सेटअप और गैर-आवश्यक सुविधाएं सम्मिलित हैं।



- डाटा सेन्टर परिचालन से प्रत्यक्ष सम्बद्ध न होने वाले सामान्य सॉफ्टवेयर लाइसेंस।
- जीएसटी, सीमा शुल्क और अन्य वैधानिक शुल्कों सहित कर एवं शुल्क।

### 6.13 सक्षम प्राधिकारी

सक्षम प्राधिकारी का आशय निम्नलिखित से है:-

- क. 200 करोड़ रुपये तक की परियोजना लागत वाली परियोजनाओं हेतु: उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की अध्यक्षता वाली नीति कार्यान्वयन इकाई सक्षम प्राधिकारी होगी।
- ख. 200 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना लागत वाली परियोजनाओं हेतु: नीति कार्यान्वयन इकाई की संस्तुतियों और तत्पश्चात सशक्त समिति की अनुशंसा के आधार पर माननीय राज्य मंत्रिपरिषद् सक्षम प्राधिकारी होगा।

### 6.14 पात्र बैंक/वित्तीय संस्थान

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित और अनुमोदित सभी अनुसूचित बैंक और वित्तीय संस्थानों को अनुमति दी जाएगी।

### 6.15 ऊर्जा उपयोग दक्षता (पीयूई)

ऊर्जा उपयोग दक्षता (पीयूई) डाटा सुविधा द्वारा खपत की गई कुल ऊर्जा और आईटी उपकरणों (सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्किंग) द्वारा खपत की गई ऊर्जा का अनुपात है।

### 6.16 टियर/रेटिंग III तथा IV डाटा सेन्टर

ऐसे डाटा सेंटर जिन्हें अपटाइम, टीआईए आदि जैसी प्रमुख प्रमाणन एजेंसियों द्वारा टियर/रेटिंग III तथा IV के रूप में प्रमाणित किया गया है।

### 6.17 एआई कंप्यूट यूनिट

इस नीति के प्रयोजन के लिए, एआई कंप्यूट यूनिट का अर्थ एक व्यक्तिगत हार्डवेयर कंप्यूट डिवाइस है जिसमें जीपीयू, एआई एक्सेलेरेटर, या समकक्ष उच्च-प्रदर्शन कंप्यूट प्रोसेसर शामिल है, जो डाटा सेंटर के भीतर स्थापित है, स्वतंत्र रूप से एड्रेसेबल है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और/या उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग (एचपीसी) वर्कलोड को निष्पादित करने में सक्षम है।

*Amr*

## 6.18 सरकारी अभिकरण

इस नीति के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित निकाय सरकारी अभिकरण के दायरे में आते हैं:

- औद्योगिक विकास अभिकरण
- उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद , उ०प्र० आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रणाधीन विकास/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
- सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य शासकीय संस्थान

## 7. वित्तीय प्रोत्साहन

### 7.1 डाटा सेन्टर पार्क

#### 7.1.1 ब्याज उपादान

पात्र बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए सावधि ऋण पर प्रारंभिक 7 वर्षों के लिए भुगतान किए गए वार्षिक ब्याज के 60 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति ब्याज उपादान के रूप में की जाएगी, जिसकी वार्षिक सीमा 10 करोड़ रुपये होगी। प्रत्येक डाटा सेन्टर पार्क के लिए ब्याज उपादान की कुल सीमा 50 करोड़ रुपये होगी। ब्याज उपादान की गणना केवल पात्र अचल पूंजी निवेश के लिए लिए गए ऋणों पर भुगतान किए गए ब्याज के आधार पर की जाएगी।

#### 7.1.2 दोहरी ग्रिड विद्युत उपादान

डाटा सेंटर (डीसी) पार्कों को दोहरा विद्युत ग्रिड नेटवर्क प्रदान किया जाएगा, जिसमें से एक ग्रिड (दोनों में से कम लागत वाले) की लागत सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा डीसी पार्क को प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाएगी, जबकि दूसरे ग्रिड की लागत डीसी पार्क द्वारा वहन की जाएगी।

यह उपादान इस नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी एक लक्ष्य की प्राप्ति (जो भी पहले हो) तक सीमित रहेगी:

- i. इस नीति की अधिसूचना की तिथि से राज्य में स्थापित किए जाने वाले प्रथम आठ (8) डीसी पार्क
- ii. इस नीति की अधिसूचना की तिथि से अतिरिक्त 2 गीगावाट (GW) डाटा सेंटर क्षमता की प्राप्ति

उपरोक्त सीमाओं से परे इस उपादान के किसी भी विस्तार के लिए राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति आवश्यक होगी, तथा यह उस समय निर्धारित किए जाने वाले नियमों एवं शर्तों के अनुसार प्रदान किया जा सकता है।

### 7.1.3 भूमि उपादान

क) मध्यांचल और पश्चिमांचल क्षेत्रों में सरकारी अभिकरण से भूमि की लीज अथवा खरीद पर सर्किल दर पर 25 प्रतिशत का भूमि उपादान प्रदान किया जाएगा।

ख) बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में सरकारी अभिकरण से भूमि की लीज अथवा खरीद पर सर्किल दर पर 50 प्रतिशत का भूमि उपादान प्रदान किया जाएगा।

ग) परियोजना के व्यावसायीकरण के पश्चात, राज्य सरकार द्वारा संबंधित प्राधिकरण को नीति अवधि के भीतर उपयोग की गई भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात में चरणबद्ध तरीके से उपादान का संवितरण किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा उद्यम की भुगतान योजनाओं में उपादान को समायोजित किया जाएगा।

घ) प्रस्तावित भूमि उपादान डाटा सेन्टर्स के साथ स्थापित कैप्टिव सौर ऊर्जा संयंत्रों पर लागू होगी, बशर्ते किसी भी केंद्रीय या राज्य नीति के अन्तर्गत कोई भूमि उपादान न लिया गया हो।

ङ) भविष्य में विस्तार और वृद्धि के लिए स्थापित कैप्टिव सौर ऊर्जा संयंत्रों के हिस्से के लिए उपयोग की गई आनुपातिक भूमि उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति 2026 के अन्तर्गत उपादान के लिए पात्र नहीं होगी।

च) इसके अतिरिक्त, डाटा सेन्टर्स को हरित पद्धतियों को अपनाने और उत्तर प्रदेश सौर नीति के तहत दिए गए लाभों का लाभ उठाने हेतु प्रबल संस्तुति की जाती है।

### 7.1.4 स्टाम्प ड्यूटी

क) सरकारी प्राधिकरण/सरकारी संस्था से भूमि/निर्मित क्षेत्र क्रय/पट्टे पर लेने पर स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट और द्वितीय ट्रांजेक्शन (डाटा सेन्टर पार्क से डाटा सेन्टर इकाई) पर डाटा सेन्टर को 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

ख) अनुमोदित स्टाम्प ड्यूटी छूट, उसके समतुल्य राशि की बैंक गारंटी के सापेक्ष प्रदान की जाएगी, जो वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने पर वापस कर दी जाएगी।

### 7.1.5 ट्रांसमिशन एवं व्हीलिंग चार्जेस

(क) विद्युत ऊर्जा के आंतर-राज्यीय क्रय पर व्हीलिंग शुल्क/ट्रांसमिशन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट परियोजना के चालू होने की तिथि से 25 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।

(ख) राज्य में स्थित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त विद्युत के मामले में, विद्युत ऊर्जा के आंतरराज्यीय क्रय पर व्हीलिंग शुल्क/ट्रॉसमिशन शुल्क में 75 प्रतिशत की छूट परियोजना के चालू होने की तिथि से 25 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।

(ग) आंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली द्वारा ऊर्जा के अन्तर्राज्यीय क्रय हेतु व्हीलिंग शुल्क/ट्रॉसमिशन शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट परियोजना के चालू होने की तिथि से 25 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।

यह उपादान इस नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी एक लक्ष्य की प्राप्ति (जो भी पहले हो) तक सीमित रहेगी:

i. इस नीति की अधिसूचना की तिथि से राज्य में स्थापित किए जाने वाले प्रथम आठ (8) डीसी पार्क

ii. इस नीति की अधिसूचना की तिथि से अतिरिक्त 2 गीगावाट (GW) डाटा सेंटर क्षमता की प्राप्ति

उपरोक्त सीमाओं से परे इस उपादान के किसी भी विस्तार के लिए राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति आवश्यक होगी, तथा यह उस समय निर्धारित किए जाने वाले नियमों एवं शर्तों के अनुसार प्रदान किया जा सकता है।

#### 7.1.6 टियर/रेटिंग III तथा IV प्रोत्साहन बूस्टर

डाटा सेंटर पार्क, नीति अवधि के दौरान अपटाइम, टीआईए अथवा नामित राज्य स्तरीय समिति द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य समकक्ष एजेंसी द्वारा जारी टियर/रेटिंग III ग्रेड प्रमाणन के लिए, प्रमाणन जारी करने और नवीनीकरण में से किसी एक हेतु किए गए शुल्क के 25 प्रतिशत की एकमुश्त प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे। साथ ही, डाटा सेंटर पार्क, नीति अवधि के दौरान टियर/रेटिंग IV ग्रेड के लिए प्रमाणन उत्पन्न, जारी करने और नवीनीकरण में से किसी एक हेतु किए गए शुल्क के 50 प्रतिशत की एकमुश्त प्रतिपूर्ति के भी पात्र होंगे।

#### 7.1.7 एआई कंप्यूट बूस्टर प्रोत्साहन

एक डाटा सेंटर पार्क जो अपने परिसर में कम से कम 700 एआई कंप्यूट यूनिट्स जो एफपी64 ग्रेड (डबल प्रेसिजन) की हों की खरीद और स्थापना करता है, वह धारा 7.1.1 में परिभाषित कुल ब्याज उपादान सीमा में रु 10 करोड़ और वार्षिक उपादान की सीमा में रु 2 करोड़ की अतिरिक्त वृद्धि के लिए पात्र होगा।

*Amber*

उपरोक्त प्रावधान के तहत पात्रता अभिलेखीय और तकनीकी साक्ष्यों के माध्यम से निर्धारित की जाएगी, जिसमें क्रय-चालान और भुगतान के अभिलेख, ओईएम या सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा जारी स्थापना और कमीशनिंग प्रमाण पत्र, और एफपी64(डबल प्रेसिजन) कंप्यूटर क्षमता और मात्रा की पुष्टि करने वाली सिस्टम द्वारा उत्पन्न इन्वेंट्री सम्मिलित हैं। डाटा सेंटर को लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित परिसंपत्ति एवं स्थापना विवरण भी प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि उद्घोषित सुविधा के एक ही भवन या तल में न्यूनतम आवश्यक एआई कंप्यूटिंग इकाइयाँ स्थापित, संचालित और कार्यरत हैं।

#### 7.1.8 ग्रीन एवं सस्टेनेबल परिचालन के लिए बूस्टर प्रोत्साहन

LEED, GBI, GRIHA, IGBC अथवा नामित राज्य स्तरीय समिति द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य समकक्ष संस्था से शीर्ष दो स्तरीय ग्रीन डाटा सेंटर प्रमाणन प्राप्त करने वाले डाटा सेंटर पार्क, निम्नलिखित तालिका में दिए गए मानदंडों के अनुसार अतिरिक्त लाभों के लिए पात्र होंगे:-

| मैट्रिक्स                                                      | मानदंड                                                                                          | कुल ब्याज उपादान की सीमा में वृद्धि<br>(करोड़ रुपये में) | वार्षिक ब्याज उपादान की अधिकतम सीमा में वृद्धि<br>(करोड़ रुपये में) |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| प्रमाणन                                                        | मान्यता प्राप्त वैश्विक या राष्ट्रीय संस्थानों से प्राप्त प्रमाणन के शीर्ष दो स्तरों में से एक। | 2                                                        | 0.4                                                                 |
| ऊर्जा उपयोग दक्षता (PUE)                                       | $PUE \leq 1.35$                                                                                 | 4                                                        | 0.8                                                                 |
| ऊर्जा उपयोग दक्षता (PUE)                                       | $1.35 < PUE \leq 1.45$                                                                          | 2                                                        | 0.6                                                                 |
| ऊर्जा उपयोग दक्षता (PUE)                                       | $1.45 < PUE \leq 1.60$                                                                          | 1                                                        | 0.4                                                                 |
| कुल सुविधा ऊर्जा खपत (RE) के प्रतिशत के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा | $RE > 70$                                                                                       | 4                                                        | 0.8                                                                 |
| कुल सुविधा ऊर्जा खपत (RE) के प्रतिशत के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा | $50 < RE \leq 70$                                                                               | 2                                                        | 0.6                                                                 |

*Handwritten signature*

|                                                                |                   |   |     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---|-----|
| कुल सुविधा ऊर्जा खपत (RE) के प्रतिशत के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा | $20 < RE \leq 50$ | 1 | 0.6 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---|-----|

उपरोक्त तालिका के अनुसार, निवेशक द्वारा धारा 7.1.1 में परिभाषित ब्याज उपादान के लिए कुल सीमा में अधिकतम रु 10 करोड़ तथा वार्षिक सीमा में अधिकतम रु 2 करोड़ की वृद्धि का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

## 7.2 डाटा सेंटर यूनिट

### 7.2.1 पूंजी उपादान

पात्र स्थिर पूंजी निवेश (EFCI) पर भूमि और भवन की लागत को छोड़कर 7 प्रतिशत पूंजी उपादान प्राप्त करने के लिए पात्र। उपादान की अधिकतम सीमा रु 20 करोड़ होगी। यह उपादान 10 वर्षों के भीतर वितरित किया जायेगा, जिसकी वार्षिक अधिकतम सीमा रु 2 करोड़ होगी।

### 7.2.2 विद्युत आपूर्ति

व्यावसायिक परिचालन आरम्भ होने के पश्चात 10 वर्षों की अवधि के लिए विद्युत शुल्क पर 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

### 7.2.3 भूमि उपादान

डाटा सेंटर पार्क के अंतर्गत प्रावधान 7.1.3 के समान।

### 7.2.4 स्टाम्प ड्यूटी

डाटा सेंटर पार्क के अंतर्गत प्रावधान 7.1.4 के समान।

### 7.2.5 ट्रांसमिशन एवं व्हीलिंग चार्जेस

डाटा सेंटर पार्क के अंतर्गत प्रावधान 7.1.5 के समान।

### 7.2.6 टियर/रेटिंग III तथा IV प्रोत्साहन बूस्टर

डाटा सेंटर पार्क के अंतर्गत प्रावधान 7.1.6 के समान।

### 7.2.7 एआई कंप्यूट बूस्टर प्रोत्साहन

*fuwa*

एक डाटा सेंटर यूनिट जो अपने परिसर में कम से कम 350 एआई कंप्यूट यूनिट्स जो एफपी64 ग्रेड (डबल प्रेसिजन) की हों) की खरीद और स्थापना करता है, वह धारा 7.2.1 में परिभाषित कुल पूंजी उपादान सीमा में रु 5 करोड़ और वार्षिक उपादान की सीमा में रु 0.5 करोड़ की अतिरिक्त वृद्धि के लिए पात्र होगा।

उपरोक्त प्रावधान के तहत पात्रता अभिलेखीय और तकनीकी साक्ष्यों के माध्यम से निर्धारित की जाएगी, जिसमें क्रय-चालान और भुगतान के अभिलेख, ओईएम या सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा जारी स्थापना और कमीशनिंग प्रमाण पत्र, और एफपी64(डबल प्रेसिजन) कंप्यूट क्षमता और मात्रा की पुष्टि करने वाली सिस्टम द्वारा उत्पन्न इन्वेंट्री सम्मिलित हैं। डाटा सेंटर को लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित परिसंपत्ति एवं स्थापना विवरण भी प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि उद्घोषित सुविधा के एक ही भवन या तल में न्यूनतम आवश्यक एआई कंप्यूटिंग इकाइयाँ स्थापित, संचालित और कार्यरत हैं।

#### 7.2.8 ग्रीन एवं सस्टेनेबल परिचालन के लिए बूस्टर प्रोत्साहन

LEED, GBI, GRIHA, IGBC अथवा नामित राज्य स्तरीय समिति द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य समकक्ष संस्था से शीर्ष दो स्तरीय ग्रीन डाटा सेंटर प्रमाणन प्राप्त करने वाले डाटा सेंटर यूनिट, निम्नलिखित तालिका में दिए गए मानदंडों के अनुसार अतिरिक्त लाभों के लिए पात्र होंगे:-

| मैट्रिक्स                | मानदंड                                                                                          | कुल पूंजी उपादान की सीमा में वृद्धि (करोड़ रुपये में) | वार्षिक पूंजी उपादान की अधिकतम सीमा में वृद्धि (करोड़ रुपये में) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| प्रमाणन                  | मान्यता प्राप्त वैश्विक या राष्ट्रीय संस्थानों से प्राप्त प्रमाणन के शीर्ष दो स्तरों में से एक। | 1                                                     | 0.1                                                              |
| ऊर्जा उपयोग दक्षता (PUE) | $PUE \leq 1.35$                                                                                 | 2                                                     | 0.2                                                              |
| ऊर्जा उपयोग दक्षता (PUE) | $1.35 < PUE \leq 1.45$                                                                          | 1                                                     | 0.1                                                              |
| ऊर्जा उपयोग दक्षता (PUE) | $1.45 < PUE \leq 1.60$                                                                          | 0.5                                                   | 0.05                                                             |

*Amur*

|                                                                |                   |     |      |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----|------|
| कुल सुविधा ऊर्जा खपत (RE) के प्रतिशत के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा | $RE > 70$         | 2   | 0.2  |
| कुल सुविधा ऊर्जा खपत (RE) के प्रतिशत के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा | $50 < RE \leq 70$ | 1   | 0.1  |
| कुल सुविधा ऊर्जा खपत (RE) के प्रतिशत के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा | $20 < RE \leq 50$ | 0.5 | 0.05 |

उपरोक्त तालिका के अनुसार, निवेशक द्वारा धारा 7.2.1 में परिभाषित पूंजी उपादान के लिए कुल सीमा में अधिकतम रु 5 करोड़ तथा वार्षिक सीमा में अधिकतम रु 0.5 करोड़ की वृद्धि का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

### 7.3 एज डाटा सेंटर

डाटा सेंटर यूनिट के अंतर्गत सभी प्रोत्साहन (ग्रीन एवं सस्टेनेबल परिचालन के लिए बूस्टर प्रोत्साहन को छोड़ कर) एज डाटा सेंटर पर लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त, एज डाटा सेंटर निम्नलिखित प्रोत्साहन के लिए विशेष रूप से पात्र हैं।

#### 7.3.1 इन्टरनेट लागत उपादान

एज डाटा सेंटर को व्यावसायिक संचालन के प्रथम 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष प्रति एज डाटा सेंटर अधिकतम 2.5 लाख रुपये तक इन्टरनेट बैंडविड्थ/लीज़्ड लाइन/फाइबर कनेक्टिविटी शुल्क पर 25% प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा। यह प्रतिपूर्ति डाटा सेंटर द्वारा किए गए वास्तविक बिलों/उपयोग के आधार पर की जाएगी।

### 7.4 उत्कृष्टता का केंद्र

नीति के अन्तर्गत डाटा सेंटर उद्योग में अनुसंधान, नवाचार तथा उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) के रूप में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण की परिकल्पना की गई है। नीति का उद्देश्य प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों और/अथवा उद्योग संघों/उद्योग अथवा इस क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास में प्रयुक्त किसी अन्य सरकारी/निजी संस्था के सहयोग से उत्कृष्टता केंद्र (CoE) की

*Amn*

स्थापना किया जाना है। उत्कृष्टता केंद्र परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम रु 10 करोड़ तक) उ0प्र0 सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। सशक्त समिति (Empowered Committee) उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु सक्षम होगी।

## 8 गैर-वित्तीय प्रोत्साहन

### 8.1 मिशन क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर

राज्य में डाटा सेन्टर उद्योग को आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (ESMA) के तहत एक आवश्यक सेवा प्रदाता के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

### 8.2 जलापूर्ति

किसी भी सरकारी अभिकरण के क्षेत्र में स्थित परियोजनाओं के लिए, भूमि आवंटन से पूर्व पर्याप्त जल उपलब्धता का आकलन सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसे आकलन के आधार पर, संबंधित सरकारी अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि लेटर ऑफ कम्फर्ट (LoC) जारी किए जाने से पूर्व, लागू शुल्कों पर डाटा सेंटर इकाइयों/पार्कों को 24x7 निर्बाध जल आपूर्ति उपलब्ध कराई जाए। जल की गुणवत्ता डाटा सेंटर इकाइयों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु, डाटा सेंटर पार्कों द्वारा सामूहिक अवसंरचना के रूप में जल शोधन संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। जल के उपयोग के पूर्व संबंधित निकाय/ सरकारी अभिकरण से प्रचलित नियमों के अनुरूप यथा आवश्यकता पूर्व अनुमति/ अनापत्ति ली जाएगी।

### 8.3 भवन निर्माण मानदंडों में विशेष प्रावधान

- (1) डाटा केन्द्रों को IEEE, ICNIRP, WHO आदि जैसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा निर्धारित विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र (EMF) उत्सर्जन की मानक सीमाओं का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- (2) **सब-लीजिंग:** डाटा सेन्टर्स को सरकारी अभिकरण द्वारा बिना किसी उप-पट्टे या हस्तांतरण शुल्क के डाटा सेन्टर्स/एसपीवी को भूमि/भवन उप-पट्टे पर देने की अनुमति होगी। इस संबंध में सरकार द्वारा सरकारी अभिकरण को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी।
- (3) **फ्लोर एरिया रेशियो:** डाटा सेंटरों को अधिक क्रय योग्य फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) की अनुमति दी जाएगी। नीति अवधि के दौरान डाटा सेंटर द्वारा क्रय/लीज की गई भूमि पर 3.0 का बेस FAR गैर-प्रभार योग्य आधार पर उपलब्ध होगा, तथा इसके अतिरिक्त 1.0 FAR प्रभार योग्य आधार पर लिया जा सकेगा।

*fuan*

बेस FAR से अधिक अधिकतम अनुमेय FAR (MFAR) संबंधित स्थानीय भवन विनियमों के अनुसार होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता राज्य एजेंसी को सरकार द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त, जिन डाटा सेंटरों के लिए भूमि नीति अवधि के दौरान या उससे पूर्व क्रय/लीज की गई है, उनके लिए भूमिगत पार्किंग, स्टोरेज तथा डीजी सेट (डीजल जनरेटर) स्थापना हेतु उपयोग किए गए क्षेत्र को FAR का हिस्सा नहीं माना जाएगा। डीजी सेट की स्थापना हेतु आवश्यक अतिरिक्त स्थान उपलब्ध कराने के लिए, भवन उपविधियों में अनुमेय FAR के अतिरिक्त प्रदान किए गए सर्विस FAR की सीमा को बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया जाएगा।

उपर्युक्त प्रावधानों के अतिरिक्त, प्रचलित भवन उपविधियों तथा संबंधित सरकारी अभिकरण द्वारा समय-समय पर अधिसूचित/संशोधित नियमों एवं विनियमों के अनुरूप, अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) की अनुमति प्रदत्त की जा सकती है।

- (4) **फर्श से छत की ऊंचाई (एक मंजिल)** मेज़ानाइन फ्लोर न होने और समग्र ऊंचाई नियमों तथा उपयुक्त संरचनात्मक और अग्नि सुरक्षा नियमों के अनुपालन के अधीन, फर्श से छत की ऊंचाई पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
- (5) **रूफटॉप पर चिलर्स की स्थापना:** यदि कोई संरचनात्मक सुरक्षा तथा वैधानिक स्वीकृतियाँ हों, तो उनके अधीन, चिलर्स को छत पर स्थापित किया जा सकता है और ऐसे चिलर्स को फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
- (6) **चहारदीवारी:** डाटा सेंटर पार्क/ यूनिट्स को 3.6 मीटर तक ऊंचाई की चहारदीवारी और 600 मिलीमीटर तक की 'वाई' फेंसिंग बनाने की अनुमति होगी।
- (7) **बहुस्तरीय डीजी स्टैकिंग:** अग्नि सुरक्षा विभाग से एनओसी प्राप्त करने के बाद ही बहुस्तरीय डीजी स्टैकिंग सहित डीजी सेटों की स्थापना की अनुमति होगी।
- (8) **भूमि आच्छादन:** डाटा सेंटरों को, यदि कोई वैधानिक स्वीकृतियाँ आवश्यक हों तो उनका अनुपालन करते हुए, 60% तक अथवा प्रचलित उपविधियों के अनुसार (जो भी अधिक हो) की अनुमति प्रदान की जाएगी।
- (9) **डाटा सेंटर पार्क के द्वार पर अवस्थापना:** राज्य में स्थापित किए जा रहे डाटा सेंटर पार्कों को संबंधित सरकारी अभिकरण द्वारा आवश्यक बुनियादी ढांचा (बिजली, पानी, सीवर, सड़क) उपलब्ध कराया जाएगा।



#### 8.4 विद्युत आपूर्ति

- (i) **ओपेन एक्सेस:** डाटा सेन्टर पार्क के बाहर काम करने वाली डाटा सेन्टर यूनिट्स को खुले बाजार में अति प्रतिस्पर्द्धी दरों पर ऊर्जा क्रय हेतु ओपेन एक्सेस की अनुमति होगी।
- (ii) **क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज विजिबिलिटी:** वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने वाली डाटा सेन्टर यूनिट पर लागू होने वाला क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज (CSS) उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा समय-समय पर अधिसूचित विनियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
- (iii) **डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस:** डाटा सेन्टर पार्क, समय-समय पर यूपीईआरसी द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किए गए अनुसार, डाटा सेन्टर पार्क के भीतर बिजली वितरण और खपत के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के पात्र होंगे जैसाकि इस संबंध में यूपीईआरसी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये।
- (iv) **डीमंड फ्रेन्चाइजी स्टेटस:** इकाइयों को यूपीईआरसी विनियमों के अन्तर्गत डीमंड फ्रेन्चाइजी स्टेटस प्राप्त करने का विकल्प मिलेगा। इससे इन-हाउस ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सब-मीटरिंग की सुविधा मिलेगी।
- (v) **24X7 विद्युत आपूर्ति:** डाटा सेंटर पार्कों एवं डाटा सेंटर इकाइयों को 24x7 विद्युत आपूर्ति प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि पार्क/इकाई द्वारा दो समर्पित विद्युत आपूर्ति फीडर की व्यवस्था की गई हो।
- (vi) **बैंकिंग चार्जस:** प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऊर्जा की बैंकिंग की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते संबंधित राज्य वितरण कंपनी के अधिकारियों द्वारा यूपीईआरसी विनियमों के बैंकिंग प्रावधानों के अनुसार सत्यापन किया जाए। डाटा सेंटर के संचालन (कमीशनिंग) के समय प्रभावी नियम, संपूर्ण नीति अवधि के दौरान लागू रहेंगे।
- (vii) **बिजली आपूर्ति में वृद्धि:** यूपीपीसीएल और इसके डिस्कॉम वितरण प्रणाली की तकनीकी स्थितियों के आधार पर, आपूर्ति संहिता में निर्धारित वोल्टेज स्तर के लिए अनुमेय/अनुबंधित भार से ऊपर डाटा सेन्टर पार्क/यूनिट को बिजली आपूर्ति में वृद्धि की अनुमति सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर दे सकते हैं।

#### 8.5 अन्य सहयोग

- (i) **नॉन-डिस्टर्बेन्स प्राविधान:** सुनिश्चित व्यावसायिक निरंतरता प्रदान करने के लिए, एक बार डाटा सेन्टर पार्क द्वारा निवेश पूरा कर लेने और संबंधित प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने तथा पूरा

*Amor*

लीज रेंट चुका देने के बाद, प्राधिकरण के नियमों/उपनियमों के उल्लंघन की स्थिति में ऐसे डाटा सेन्टर द्वारा पट्टा विलेख को रद्द करने के लिए प्राधिकरण के बोर्ड की स्वीकृति एक पूर्व शर्त होगी।

- (ii) **सार्वजनिक क्रय में वरीयता:** इस नीति के अंतर्गत पंजीकृत डाटा सेन्टर यूनिट/एज डाटा सेन्टर सरकारी विभागों और उनकी एजेंसियों द्वारा क्लाउड स्टोरेज की सार्वजनिक खरीद में सबसे प्रतिस्पर्धी दरों पर प्राथमिकता पाने के पात्र होंगे।
- (iii) **तीन पालियों में परिचालन:** डाटा सेन्टर्स को 24 x7 परिचालन तथा महिलाओं को सभी तीन पालियों में सेवायोजन की इस प्रतिबन्ध सहित अनुमति होगी कि डाटा सेन्टर द्वारा महिला कार्मिकों की सुरक्षा और संरक्षा से सम्बन्धित आवश्यक सावधानी सुनिश्चित की जाये।

(iv) **स्व-प्रमाणन:** डाटा सेन्टर्स को निर्धारित प्रारूपों पर, स्व-प्रमाणन प्रस्तुत करने हेतु अनुमति होगी:-

- कारखाना अधिनियम
- मातृत्व लाभ अधिनियम
- दूकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम
- संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम
- पारिश्रमिक भुगतान अधिनियम
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम
- सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम

## 9 **मामले-दर-मामले आधार पर विशेष प्रोत्साहन पैकेज**

500 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले डाटा सेंटर परियोजनाओं के लिए, राज्य सरकार मामले-दर-मामले आधार पर वित्तीय एवं गैर-वित्तीय प्रोत्साहनों का एक अनुकूलित (कस्टमाइज्ड) विशेष पैकेज प्रदान कर सकती है। ऐसे विशेष पैकेज का निर्धारण परियोजना के मापदंड, उसकी अग्रणी (पायनियरिंग) प्रकृति, क्षेत्रीय महत्व तथा रोजगार सृजन की संभावनाओं के आधार पर किया जाएगा। उक्त सभी अनुकूलित प्रोत्साहन पैकेज मा० मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के अधीन होंगे।

## 10 **गवर्नेन्स**

### 10.1 सशक्त समिति

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एक राज्य स्तरीय सशक्त समिति द्वारा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी की जाएगी। समिति का अधिकार-पत्र (Charter) नीति के प्रभावी कार्यान्वयन तथा सभी स्तरों पर

*Amur*

निवेशकों से संबंधित मुद्दों के सामयिक समाधान हेतु अंतर्विभागीय सामंजस्य से संबंधित होगा। रु 200 करोड़ से अधिक निवेश वाली परियोजनाएं सशक्त समिति की अनुशंसा पर राज्य के मा. मंत्रिपरिषद के अनुमोदन आधीन होंगी।

### 10.2 नीति कार्यान्वयन इकाई

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की अध्यक्षता में गठित एक नीति कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) द्वारा सशक्त समिति के पर्यवेक्षण में नोडल एजेंसी के कार्यों की निगरानी की जाएगी। पीआईयू निवेश प्रस्तावों पर अनुमोदन, प्रोत्साहनों के संवितरण, सशक्त समिति के लिए संस्तुतियों इत्यादि सहित नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रति उत्तरदायी होगी। पीआईयू के अन्य दायित्वों में शासकीय अधिकारियों के साथ समन्वय, उद्योग संघों, हितधारकों, कॉर्पोरेट्स के साथ संबंधता, नीति का प्रचार, आदि सम्मिलित है।

### 10.3 नोडल संस्था

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीनस्थ सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी), नीति कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) के पर्यवेक्षण में इस नीति को लागू करने के लिए नोडल संस्था होगी।

### 10.4 नीति प्रबन्धन इकाई (PMU)

नोडल संस्था के अधीन विषय विशेषज्ञों/सलाहकारों से युक्त एक समर्पित नीति प्रबंधन इकाई (पीएमयू) का गठन किया जाएगा। पीएमयू द्वारा नीति के कार्यान्वयन और प्रचार में नोडल संस्था को सहयोग प्रदान किया जाएगा।

## 11 नियम एवं शर्तें

- (1) ऐसे डाटा सेंटर, जिन्होंने वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ कर दिया है, किंतु उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति, 2021 के अंतर्गत इस नीति की अधिसूचना की तिथि तक उन्हें लेटर ऑफ कम्फर्ट (LoC) जारी नहीं किया गया है, वे इस नीति के अंतर्गत गैर-वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे, बशर्ते कि आवेदन प्रस्तुत किया गया हो तथा इस नीति के प्रावधानों के अनुसार एक स्वीकृति पत्र (Acknowledgement Letter) जारी किया गया हो।
- (2) नीति के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन और लाभ लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी होने के बाद लागू होंगे। यद्यपि, गैर-वित्तीय प्रोत्साहन एक्नॉलेजमेंट लेटर जारी होने के बाद लागू होंगे।



- (3) इस नीति के अंतर्गत किसी भी शब्द या किसी भी प्रावधान की व्याख्या से संबंधित संदेहों को स्पष्टीकरण/निवारण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग को संदर्भित किया जाएगा। विभाग, संबंधित प्रशासनिक विभागों से जहां से ऐसे शब्द/वाक्य अथवा उद्धरण उत्पन्न हुए हैं उनके परामर्श से अपनी अनुशंसाएँ राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा। इस पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम एवं सभी के लिए बाध्यकारी होगा।
- (4) डाटा सेन्टर को भारत सरकार द्वारा सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची में संचार उपक्षेत्र के अंतर्गत अवसंरचना के रूप में मान्यता दी गई है। निवेशक विस्तृत प्राविधानों और पात्रता मानदंडों के लिए वित्त मंत्रालय की व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) योजना का अवलोकन कर सकते हैं।
- (5) निवेशक केंद्र और राज्य सरकार दोनों से प्रोत्साहन राशि इस प्रतिबन्ध सहित प्राप्त कर सकता है, कि ये प्रोत्साहन राशि अलग-अलग पात्र घटकों के लिए हो और कुल प्रोत्साहन राशि इकाई के स्थिर पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक न हो।
- (6) डाटा सेन्टर पार्क, डाटा सेन्टर यूनिट तथा एज डाटा सेन्टर एकाधिक चरणों में विकसित किए जा सकते हैं। यद्यपि, आवेदक को निवेश प्रस्ताव रिपोर्ट (आईपीआर) प्रस्तुत करते समय सभी प्रस्तावित चरणों का उल्लेख करना होगा।
- (7) निवेशक प्रोत्साहन धनराशि के संवितरण के लिए तभी आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे जब उन्होंने डाटा सेंटर पार्क्स के मामले में 40 मेगावाट का वाणिज्यिक परिचालन, डाटा सेंटर यूनिट के मामले में 2 मेगावाट से अधिक का परिचालन और एज डाटा सेंटर्स के मामले में कम से कम 10 यूनिटों में कुल मिलाकर 2 मेगावाट का परिचालन स्थापित किया हो। यदि कोई निवेशक एक से अधिक निर्दिष्ट डाटा सेंटर श्रेणियों के लिए पात्र है, तो वह केवल एक ही श्रेणी के अंतर्गत नीतिगत लाभों का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

**12 प्रत्येक क्षेत्र (बुंदेलखंड, पूर्वांचल, मध्यांचल और पश्चिमांचल) के अंतर्गत आने वाले जनपदों की सूची**

| पूर्वांचल क्षेत्र | मध्यांचल<br>(केन्द्रीय क्षेत्र) | बुंदेलखंड क्षेत्र | पश्चिमांचल क्षेत्र |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
| अयोध्या मण्डल     | कानपुर मण्डल                    | झांसी मण्डल       | आगरा मण्डल         |
| 1 अयोध्या         | 1 कानपुर नगर                    | 1 झांसी           | 1 आगरा             |
| 2 अम्बेदकर नगर    | 2 कानपुर देहात                  | 2 जालौन           | 2 फिरोजाबाद        |

*Amur*

|                    |                |                |                  |
|--------------------|----------------|----------------|------------------|
| 3 बाराबंकी         | 3 इटावा        | 3 ललितपुर      | 3 मैनपुरी        |
| 4 सुल्तानपुर       | 4 औरैया        | चित्रकूट मण्डल | 4 मथुरा          |
| 5 अमेठी            | 5 फर्रुखाबाद   | 4 बांदा        | अलीगढ़ मण्डल     |
| गोरखपुर मण्डल      | 6 कन्नौज       | 5 चित्रकूट     | 5 अलीगढ़         |
| 6 गोरखपुर          | लखनऊ मण्डल     | 6 हमीरपुर      | 6 हाथरस          |
| 7 देवरिया          | 7 लखनऊ         | 7 महोबा        | 7 कासगंज         |
| 8 महाराजगंज        | 8 हरदोई        |                | 8 एटा            |
| 9 कुशीनगर          | 9 लखीमपुर खीरी |                | मुरादाबाद मण्डल  |
| प्रयागराज मण्डल    | 10 रायबरेली    |                | 9 मुरादाबाद      |
| 10 प्रयागराज       | 11 सीतापुर     |                | 10 बिजनौर        |
| 11 कौशाम्बी        | 12 उन्नाव      |                | 11 सम्भल         |
| 12 फतेहपुर         |                |                | 12 रामपुर        |
| 13 प्रतापगढ़       |                |                | 13 अमरोहा        |
| वाराणसी मण्डल      |                |                | मेरठ मण्डल       |
| 14 वाराणसी         |                |                | 14 मेरठ          |
| 15 चन्दौली         |                |                | 15 गौतमबुद्ध नगर |
| 16 जौनपुर          |                |                | 16 बुलन्दशहर     |
| 17 गाजीपुर         |                |                | 17 हापुड़        |
|                    |                |                | 18 बागपत         |
| मीरजापुर मण्डल     |                |                | 19 गाजियाबाद     |
| 18 मीरजापुर        |                |                | सहारनपुर मण्डल   |
| 19 सन्त रविदास नगर |                |                | 20 मुजफ्फरनगर    |

*Amur*

|                       |  |  |                    |
|-----------------------|--|--|--------------------|
| 20 सोनभद्र            |  |  | 21 शामली           |
| <b>आजमगढ़ मण्डल</b>   |  |  | 22 सहारनपुर        |
| 21 आजमगढ़             |  |  | <b>बरेली मण्डल</b> |
| 22 मऊ                 |  |  | 23 बरेली           |
| 23 बलिया              |  |  | 24 बदायूँ          |
| <b>देवीपाटन मण्डल</b> |  |  | 25 पीलीभीत         |
| 24 गोण्डा             |  |  | 26 शाहजहाँपुर      |
| 25 बहराइच             |  |  |                    |
| 26 बलरामपुर           |  |  |                    |
| 27 श्रावस्ती          |  |  |                    |
| <b>बस्ती मण्डल</b>    |  |  |                    |
| 28 बस्ती              |  |  |                    |
| 29 सन्त कबीर नगर      |  |  |                    |
| 30 सिद्धार्थ नगर      |  |  |                    |

### 13 संक्षिप्तीकरण

|    |      |                                        |
|----|------|----------------------------------------|
| 1. | CSS  | Cross Subsidy Surcharge                |
| 2. | DC   | Data Center                            |
| 3. | DG   | Diesel Generator                       |
| 4. | EC   | Empowered Committee                    |
| 5. | EDC  | Edge Data Center                       |
| 6. | ESMA | Essential Services and Maintenance Act |

*twor*

|     |       |                                                 |
|-----|-------|-------------------------------------------------|
| 7.  | FAR   | Floor Area Ratio                                |
| 8.  | FCI   | Fixed Capital Investment                        |
| 9.  | GoI   | Government of India                             |
| 10. | GoUP  | Government of Uttar Pradesh                     |
| 11. | INR   | Indian National Rupee                           |
| 12. | MSME  | Micro, Small, and Medium Enterprises            |
| 13. | MW    | Megawatt                                        |
| 14. | PMU   | Project Management Unit                         |
| 15. | PIU   | Policy Implementation Unit                      |
| 16. | SPV   | Special Purpose Vehicle                         |
| 17. | UPERC | Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission |
| 18  | PUE   | Power Utilization Efficiency                    |
| 19  | WUE   | Water Utilization Efficiency                    |
| 20  | HPC   | High Performance Compute                        |
| 21  | TPU   | Tensor Processing Unit                          |
| 22  | GPU   | Graphic Processing Unit                         |
| 23  | NOC   | No Objection Certificate                        |
| 24  | LOC   | Letter of Comfort                               |
| 25  | IPR   | Investment Proposal Report                      |
| 26  | LEED  | Leadership in Energy and Environment Design     |
| 27  | GRIHA | Green Rating for Integrated Habitat Assessment  |
| 28  | GBI   | Green Building Index                            |

*Amur*

\*\*\*\*\*

ध्यानाकर्षण: "उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति-2026" के अंग्रेजी संस्करण का अनंतिम हिन्दी रूपांतर है, अतएव विषय-वस्तु संबंधी किसी असंगति/संशय की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण में निहित विषय-वस्तु ही मान्य होगी।

*Amr*

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार  
नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
पता: 10-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001  
फ़ोन नंबर: 0522-2286808, 2286809, 2286812  
ईमेल: [info@itpolicyup.gov.in](mailto:info@itpolicyup.gov.in)  
वेबसाइट: [itpolicyup.gov.in](http://itpolicyup.gov.in)